प्रेषक,

जिलाधिकारी
जनपद-लखनऊ।

सेवा में,

परामर्शदाता (न्यायिक),
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।
(ई-मेल आइडी judicial-ngt@gmail.com) (judicial-ngt@gov.in)

पत्रांक- 03 /एनजीटी/2025 दिनांक: 30.06.2025

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 403/2024 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य (सहसम्बंद्ध ओए/404/2024, ओए/405/2024, ओए/406/2024, ओए/407/2024 में अद्यतन स्थिति की आख्या विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन संख्या ओ०ए० 403/2024 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के साथ ही मूल वाद ओ0ए0-405/2024 आदर्श मेहरोत्रा बनाम यूनियन आफ इंडिया भी सम्बद्ध है, जिसमें प्रतिपक्षी जिलाधिकारी लखनऊ की ओर से अभिकथन निम्नवत है:-

मा0 अधिकरण द्वारा प्रश्नगत समेकित वाद में पारित आदेश दिनांक 06 दिसंबर 2024 निम्नवत है:-

**ORDER**

1. As per the office report, Respondent No. 7 in OA No. 404/2024, Respondent No. 7 in OA No. 406/2024 and Respondent No. 5 in OA No. 407/2024 have been duly served. However, none has appeared for them today.
2. Learned Counsel for Respondents No. 5 and 6 in OA No. 406/2024 have submitted that copies of the case file have not been supplied to them. The Registry is directed to look into the matter and do the needful in this regard.
3. **Responses by the respondents may be filed, if not already filed, at least one week before the date of hearing hereby fixed.**
4. List for further consideration on 02.04.2025.

इसी वाद में सुनवाई दिनांक 02.04.2025 को मा0 अधिकरण द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह निम्नवत है:-

**ORDER**

1. Learned Counsel for Respondent No. 2 Lucknow Municipal Corporation seeks a week's adjournment to file the Status Report/Reply affidavit. A letter to this effect has also been circulated. Prayer is allowed.
2. List on 02.07.2025.

इस प्रकार से प्रश्नगत प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वसूली पत्रांक H05563/UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023 दिनांकित 12.01.2024 के अंतर्गत सूची संलग्न कर संबन्धित

एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करवाते हुए जमा करने का प्रेषित किया गया था। उक्त वसूली प्रमाण पत्र में उल्लिखित क्रम संख्या 01 एवं 02 में अंकित समेकित धनराशि के सापेक्ष उल्लिखित फर्म मेसर्स सुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टाइटेनियम शालीमार कारपोरेट पार्क 704,706-ए0, 705बी0 पिकअप बिल्डिंग रोड विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ से बकाया रु0 46,50,000/- की वसूली हेतु आर0सी0प्रपत्र-36 जारी कर तामीला कराया गया। बाकीदार फर्म द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या रिट-सी/4816/2024 (सुएज इंडिया प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0प्र0निय0 बोर्ड अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 द्वारा पारित स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:- ***"10. In the meantime, action by which the U.P. Pollution Control Board has levied Environmental Compensation on the petitioner shall remain in abeyance, however, without prejudice to the National Green Tribunal to take such action as may be permissible in law or any other authority also to take such action as may be permissible in law in respect of the subject matter in issue."***

ज्ञातव्य है कि उक्त याचिका C/4816/2024 एक अन्य याचिका C/151/2024 से सम्बद्ध है। रिट याचिका C/4816/2024 में अद्यतन सुनवाई तिथि 11.03.2025 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:- ***4. Interim order granted earlier in Writ-C No.151 of 2024 and other connected writ petitions, wherever operating, shall remain in operation till the next date of listing.***

इस प्रकार से वसूली प्रमाण पत्र पर उल्लिखित क्रम संख्या 01 एवं 02 के सापेक्ष वसूली की कार्यवाही वर्तमान में स्थगित है।

वसूली प्रमाण पत्र सूची में शेष क्रम संख्या 03 एवं क्रम संख्या 04 के सापेक्ष अद्यतन स्थिति निम्नवत क्रमिक रूप से उल्लिखित है:-

1- क्रम संख्या 03 पर उल्लिखित **फर्म एस0एन0एनवरोटेक प्रा0लि0 एफ0-90/32 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 नई दिल्ली** के परिप्रेक्ष में मूल संचालन संस्था-आवास एवं विकास परिषद लखनऊ से उप-जिलाधिकारी सरोजनीनगर के माध्यम से पत्राचार दिनांकित 26.06.2025 किया गया। जिसके प्रति-उत्तर में कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लखनऊ-5 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आफिस कॉम्प्लेक्स चतुर्थ तल वृन्दावन योजना लखनऊ द्वारा अपने पत्र 951/पी-21/13 दिनांकित 26.06.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि:- ***"पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति रू0 937500.00 की वसूली के आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस खण्ड कार्यालय द्वारा मेसर्स एस०एन० एनवायरोटेक प्राइवेट लि० से कटौती करते हुए रू० 937500.00 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जमा कर दिया गया है, जिसकी सूचना खण्ड कार्यालय के पत्र सं0 1456/पी-21/101 दिनांक 21.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है।"***

इस प्रकार से वसूली प्रमाण पत्र के क्रम संख्या 03 के सापेक्ष वसूली हो चुकी है।

2- क्रम संख्या 04 जिसमें समेकित रूप से रु0 22,75,000/- की क्षतिपूर्ति उल्लिखित है पर उल्लिखित **फर्म मेसर्स आर0सी0सी0डेवेलपेर्स लिमिटेड 109, सिटी सेंटर बच्चा पार्क मेरठ** के परिप्रेक्ष में संचालन संस्था-जलकल विभाग-नगर निगम से पत्राचार दिनांकित 26.06.2025 किया गया। जिसके प्रति-उत्तर में पत्र 186/ई0ई0-8/2025-26 दिनांकित 27.06.2025 जो अधिशासी अभियंता (जोन-8) जलकल विभाग नगर निगम लखनऊ द्वारा सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमती नगर लखनऊ को सम्बोधित है, में उल्लिखित है कि:- ***"एस०टी०पी० का संचालन एवं रखरखाव का कार्य कर रही संस्था द्वारा एस०टी०पी० प्रांगण में स्थित लैब द्वारा शोधित उत्प्रवाह का प्रतिदिन सैम्पलिंग एवं विश्लेषण की लाग शीट तथा इसके अतिरिक्त शोधित उत्प्रवाह की बोर्ड द्वारा प्रति नमूना एकत्रण की तिथि के अगले दिन NABL, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था से सैम्पलिंग कराई गई थी, जिससे प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एस०टी०पी० द्वारा शोधित उत्प्रवाह मे विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई थी. जिसको पत्रांक संख्या 982/RCC-6.5MLD(Jalkal)/2023 dated 22-02-2023 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसकी रसीद प्राप्ति की छायाप्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।***

***अतः उपरोक्तानुसार आपसे पुनः निवेदन है कि उक्त के आधार पर हमे अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से मुक्त करने का कष्ट करें।***

अग्रतर अवगत कराना है कि इस सम्बंध में मा0 प्राधिकरण के आदेश में उल्लिखित PIL/4436/2003 में राज्य की ओर से दाखिल जवाब/प्रपत्र आदि में वसूली संबंधी कोई तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं हैं।

इस प्रकार से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 403/2024 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य (सहसम्बंद्ध ओए/404/2024, ओए/405/2024, ओए/406/2024, ओए/407/2024 में मा0 अधिकरण को अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

(विशाख जी.)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1. श्री अविनाश कुमार नायब तहसीलदार, चिनहट, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि श्री अंकित वर्मा (विद्वान नामित अधिवक्ता) से संपर्क कर, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में अभिकथन दाखिल करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या : UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023 दिनांक: 12-1-24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद–लखनऊ
मो0 नं0–**9415005000**

**विषयः <u>जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न–04 एस0टी0पी0) के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न–04 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरूद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः–यथोपरि।**

सं0 65 दिनांक 01/02/2324
तहसीलदार ...... को वसूली ... भू-राजस्व बकाया की भाँति वसूली करने हेतु तथा वसूली उपरान्त आख्या सहित मूल रूप में वापस करने हेतु प्रेषित

कृते कलेक्टर
लखनऊ

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
**सदस्य सचिव**

**प्रतिलिपि :**

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ. मो0 न0 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

**सदस्य सचिव**

श्री ......
कृपया वसूली कर शीघ्र कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

## जनपद–लखनऊ में एस0टी0पी0 के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। | | अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक | संदर्भ संख्या | अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ | 345, एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, भरवारा, लखनऊ। | मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705–ए0, 705–बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। | 09.12.2022 | एच 85403/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022 | 5,25,000/- |
| | | | | 06.01.2023 | एच 86926/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023 | 5,25,000/- |
| | | | | 01.02.2023 | एच 88126/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023 | 7,87,500/- |
| | | | | 01.03.2023 | एच 90119/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023 | 4,87,500/- |
| 2 | | 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, दौलतगंज, लखनऊ। | मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705–ए0, 705–बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। | 09.12.2022 | एच 85401/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022 | 5,25,000/- |
| | | | | 06.01.2023 | एच 86924/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023 | 5,25,000/- |
| | | | | 01.02.2023 | एच 88127/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023 | 7,87,500/- |
| | | | | 01.03.2023 | एच 90118/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023 | 4,87,500/- |
| 3 | | 37.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, आवास विकास परिषद, लखनऊ। | मेसर्स एस0एन0 एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफ– 90/32, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया फेज–1, नई दिल्ली। | 09.12.2022 | एच 85400/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022 | 9,37,500/- |
| 4 | | 6.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, आवास विकास परिषद, लखनऊ। | मेसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स लिमिटेड, 109, सिटी सेन्टर, बच्चा पार्क, मेरठ। | 09.12.2022 | एच 85399/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022 | 7,00,000/- |
| | | | | 29.12.2022 | एच 86439/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 29.12.2022 | 5,50,000/- |
| | | | | 06.01.2023 | एच 86925/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023 | 7,00,000/- |
| | | | | 01.02.2023 | एच 88128/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023 | 3,25,000/- |
| | | कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति | | | | 78,62,500/- |

IS15700:2018

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## निर्माण खण्ड लखनऊ–05,
## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आफिस काम्पलेक्स, चतुर्थ तल, वृन्दावन योजना लखनऊ।
E-mail ID: eecd31.2013@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक – 951 / पी– 21 / 13 दिनांक : 26/06/2025

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

विषय :– **उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वसूली आदेश के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0 111 व0वा0न0/2025 दिनांक 26.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संलग्न पत्र सं0 एच00 5563 दिनांकित 12.01.2024 के क्रम सं0 3 में एस0टी0पी0 37.50 एम0एल0डी0 के परिप्रेक्ष में पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति रू0 937500.00 की वसूली के आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस खण्ड कार्यालय द्वारा मेसर्स एस0एन0 एनवायरोटेक प्राइवेट लि0 से कटौती करते हुए रू0 937500.00 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जमा कर दिया गया है, जिसकी सूचना खण्ड कार्यालय के पत्र सं0 1456/पी–21/101 दिनांक 21.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु जमा की गयी धनराशि की प्रति संलग्न है।

भवदीय,

Ravindr...

( रविन्द्र नाथ )
अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:– /उक्त/ दिनॉक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त को आवास आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
2. पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
5. सहायक अभियन्ता प्रथम/सहायक लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता, नि0ख0 लखनऊ–05 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जोन–8
जलकल विभाग, नगर निगम, आशियाना, लखनऊ

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता (जोन–8)
जलकल विभाग,
नगर निगम, लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

प0सं0– 186 /ई0ई0–8/2025–26
दिनाँक– 27-06-2025-

विषयः– जनपद लखनऊ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक संख्या H05563/UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/ 2023 दिनांक 12.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि एस0टी0पी0 का संचालन एवं रखरखाव का कार्य कर रही संस्था द्वारा एस0टी0पी0 प्रांगण में स्थित लैब द्वारा शोधित उत्प्रवाह का प्रतिदिन सैम्पलिंग एवं विश्लेषण की लाग शीट तथा इसके अतिरिक्त शोधित उत्प्रवाह की बोर्ड द्वारा प्रति नमूना एकत्रण की तिथि के अगले दिन NABL, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था से सैम्पलिंग कराई गई थी, जिससे प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एस0टी0पी0 द्वारा शोधित उत्प्रवाह मे विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई थी, जिसको पत्रांक संख्या 982/RCC-6.5MLD(Jalkal)/2023 dated 22-02-2023 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसकी रसीद प्राप्ति की छायाप्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे पुनः निवेदन है कि उक्त के आधार पर हमे अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से मुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

1. पत्रांक संख्या H05563/UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023 दिनांक 12.01.2024
2. प्रतिलिपि प्राप्ति रसीद पत्रांक संख्या 982/RCC- 6.5MLD (Jalkal)/2023 dated 22.02.2023
3. प्रतिलिपि एसटीपी आउटलेट टेस्ट रिपोर्ट।

भवदीय

(प्र0) अधिशासी अभियन्ता (जोन–8)

प0सं0 एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, जिला–लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, लखनऊ उ0प्र0।
5. सचिव महोदय, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ।
6. लेखाकार जोन–8, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ।
7. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जोन–8, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

(प्र0) अधिशासी अभियन्ता (जोन–8)

16-1-24

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या : H05563 UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023

दिनांक: 12-1-24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद–लखनऊ
मो0 नं0–9415005000

विषयः **जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न–04 एस0टी0पी0) के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न–04 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरूद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

सं0 65 दिनांक 01/02 वित्तीय वर्ष 2324
तहसीलदार ........ को वसूली प्रमाण–पत्र मूलराजस्व बकाया की भाँति वसूली करने हेतु तथा वसूली उपरान्त आख्या सहित मूल रूप में वापस करने हेतु प्रेषित

कृते कलेक्टर
लखनऊ

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

अधिकारी

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, मो0 न0 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।